गौरी शंकर बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।

(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 4677/1997)

09.10.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री महेन्द्र सिंह, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्री आर.पी. कुलदीप, अति. राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य

प्रार्थी ने इस रिट याचिका में खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी के पत्र/ आदेश दिनांक- 7.2.1997 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रार्थी को निम्न निर्देश दिए गये थे:-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा आवेदित क्षेत्र का प्री-सीमांकन दिनांक- 9.11.96 को कराये जाने पर स्पष्ट हुआ कि आवेदित क्षेत्र में खसरा नं.278 एवं 280 की खातेदारी भूमि गिरती है। आप द्वारा खसरा नंबर 280 की भूमि की सहमति निदेशालय में सीधे ही प्रेषित की है, जिसकी एक प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही खसरा नं. 278 की भूमि की खातेदारी से सहमति प्राप्त कर पत्र प्राप्ति तिथि से 7 दिवस में प्रस्तुत करें ताकि आपके आवेदन पत्र पर निर्णय लिया जा सके।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया है कि आवश्यक प्रलेख एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है और अप्रत्यक्ष रूप से पत्र/आदेश दिनांक- 7.2.1997 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को आद्योपांत सुना गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अनुशीलन किया गया।

निश्चित तौर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 9 वर्ष से अधिक समय तक लम्बित रखा जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी का पत्र/ आदेश दिनांक- 7.2.1997 भेदभावपूर्ण है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र व आवश्यक प्रलेख प्रस्तुत कर दिये गये थे, खनि अभियन्ता का यह कर्तव्य था कि वह प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विधि अनुसार निस्तारण करता।

परिणामत: यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी का पत्र/ आदेश दिनांक- 7.2.1997 निरस्त किया जाता है तथा खनि अभियन्ता, राजगंजमण्डी को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण, प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र पर गहनता पूर्वक विचार कर, विधि अनुसार करेगें। प्रार्थी यदि उचित समझे तो आवश्यक प्रलेख एवं अनापत्ति

प्रमाण पत्र की प्रतियॉं पुन: खनि अभियन्ता के अनुशीलनार्थ प्रस्तुत कर सकेगा। खनि अभियन्ता,रामगंजमण्डी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने से 15 दिन कीअवधि में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय ले लेगें। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना-अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)